कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/यू0जी0–2024/1500 लखनऊः दिनांक 27/07/2024

यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की ऑनलाइन काउसिलिंग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा करायी जायेगी। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 विभाग का नहीं होगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा–2024 में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 काउसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् किसी विषमता की स्थिति से बचने के लिए काउन्सिलिंग/च्वाइस फिलिंग से पूर्व ही सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले।

डोमिसाइल के संबंध मे

- प्रदेश के राजकीय मेडिकल/डेन्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट दोनो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं होगा।

- प्रदेश के राजकीय मेडिकल/डेन्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट एक अथवा दोनों परीक्षाएं प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है ऐसे अभ्यर्थियों हेतु डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन के निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों/संस्थानों की सीटो पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशो के निवासी भी अर्ह होंगे।

आरक्षण के संबंध मे :–

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के आरक्षण प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल, 2024** अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होगें।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण–पत्र के ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सकें।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 के अन्तर्गत उपश्रेणी के आरक्षण संबंधी लाभ हेतु निम्नांकित बिन्दु के अनुसार निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें:–

  - ➢ दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र DGHS, MoHFW, New Delhi द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
  - ➢ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
  - ➢ एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र (कम से कम ''बी'' ग्रेडिंग सहित ''सी'' सार्टीफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
  - ➢ भूतपूर्व सैनिक (युद्ध मे अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र–पुत्री के लिए निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

शैक्षिक अर्हताएं:–

- यू0पी0नीट यू0जी0–2024 के माध्यम से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन0टी0ए0 द्वारा जारी ब्रोशर मे उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होगीं।
- यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 की काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों में किसी भी विरोधाभास की स्थिति में यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–आई/700717/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 में किए गये प्राविधान ही प्रभावी माने जायेंगे।
- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgmeup.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक